कार्यालयः मुख्य वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गिरिडीह।

Email: cfgiridih@gmail.com

पत्रांक :– 1115 गिरिडीह / दिनांक :– 26-09-2017

प्रेषक,

मुख्य वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल,
गिरिडीह।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल,
गिरिडीह।

विषयः– मौजा–पहाड़पुर पी0एफ0, थाना–गावां, थाना नं0–164, जिला–गिरिडीह में पहाड़पुर स्टोन डिपोजिट (Deposit) हेतु वन भूमि अपयोजन के संबंध में।

प्रसंगः– आपका पत्रांक 2058 दिनांक 19.09.2017

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग के संबंध में सूचित करना है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा आपने निदेशक श्रीमति रेखा देवी जय बाबा पतालपुरी स्टोन माईन्स एण्ड क्रशर प्रा0 लि0, पुरानी बाजार, नवादा (बिहार) के गावां प्रक्षेत्र के अन्तर्गत पहाड़पुर में 4.856 हे0 अधिसूचित वन भूमि के लीज हेतु वन अधिनियम 1980 के तहत प्रस्ताव स्वीकृति हेतु अग्रेतर कार्रवाई करने के अनुरोध के साथ भेजा है। उक्त संबंध में कहना है कि

1. FORM-A Part-I में प्रायोक्ता अभिकरण द्वारा Justification for locating the Project in forest land and details of alternatives examined के Note में पाया गया कि Justification संतोषजनक नहीं है। कृपया प्रायोक्ता अभिकरण को कहा जाय कि वे अपना प्रस्ताव सक्षम प्राधिकार के प्रमाण–पत्र के साथ समर्पित करें कि उक्त प्रकार का पत्थर (Granite and Granite Gneisses) केवल प्रास्तवित वन भूमि पर ही उपलब्ध है तथा गिरिडीह जिला में गैर वन भूमि में कही नहीं मिलता है।
2. इस कार्य हेतु अन्य विकल्प खोजने में क्या–क्या प्रयास किया गया है एक विस्तृत प्रतिवेदन समर्पित किया जाय।

अतः उपरोक्त प्रस्ताव वापस किया जा रहा है। अनुरोध है कि उपरोक्त बिन्दुओं का अनुपालन करते हुए प्रस्ताव पुनः भेजा जाय।

विश्वासभाजन,

(हस्ताक्षर) 26.9.2017

मुख्य वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, गिरिडीह।